प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 06 अगस्त, 2025

विषय:- जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश पुत्र श्री पदम सिंह, निवासी जनपद-मथुरा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-19806/प्रो0-3/फार्म-ए/2023/(एम-07-06-2023) दिनांक-15-06-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश पुत्र श्री पदम सिंह, जो ग्राम-जगतिया, थाना-राया, जनपद-मथुरा का निवासी है। दिनांक 18.05.2016 को दहेज में कार की मांग पूरी न होने के कारण बंदी द्वारा सुनीता को बुरी तरह मारा-पीटा तथा मिट्टी का तेल डालकर जान से मारने की नियत से आग लगा दी, जिससे सुनीता की बुरी तरह जली हुयी अवस्था में अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-374/2017, भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए, 323, 504 व 4 डी०पी० एक्ट में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (महिलाओं के विरूद्ध अपराध सम्बन्धी न्यायालय), एफ०टी०सी०-प्रथम, मथुरा के आदेश दिनांक-11.11.2019 द्वारा 10 वर्ष के कारावास का दण्ड दिया गया। बन्दी द्वारा दिनांक-17.04.2023 तक अपरिहार 06 वर्ष, 09 माह, 19 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष, 10 माह, 17 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 22.05.2021 एवं मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी पुनः अपराध कारित करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 18.05.2016 को दहेज में कार की मांग पूरी न होने के कारण बंदी द्वारा सुनीता को बुरी तरह मारा-पीटा तथा मिट्टी का तेल डालकर जान से मारने की नियत से आग लगा दी, जिससे सुनीता की बुरी तरह जली हुयी अवस्था में अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी ओमप्रकाश पुत्र श्री पदम सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश (बन्दी संख्या-499/2019) पुत्र श्री पदम सिंह, निवासी जनपद-मथुरा को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-1001/2025/2387(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-1001/2025/2387/22-2-2023-17(692)/2023

दिनांक: 06 अगस्त, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश पुत्र श्री पदम सिंह, जो ग्राम-जगतिया, थाना-राया, जनपद-मथुरा का निवासी है। दिनांक 18.05.2016 को दहेज में कार की मांग पूरी न होने के कारण बंदी द्वारा सुनीता को बुरी तरह मारा-पीटा तथा मिट्टी का तेल डालकर जान से मारने की नियत से आग लगा दी, जिससे सुनीता की बुरी तरह जली हुयी अवस्था में अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-374/2017, भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए, 323, 504 व 4 डी०पी० एक्ट में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (महिलाओं के विरूद्ध अपराध सम्बन्धी न्यायालय), एफ०टी०सी०-प्रथम, मथुरा के आदेश दिनांक-11.11.2019 द्वारा 10 वर्ष के कारावास का दण्ड दिया गया। बन्दी द्वारा दिनांक-17.04.2023 तक अपरिहार 06 वर्ष, 09 माह, 19 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष, 10 माह, 17 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 22.05.2021 एवं मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी पुनः अपराध कारित करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 18.05.2016 को दहेज में कार की मांग पूरी न होने के कारण बंदी द्वारा सुनीता को बुरी तरह मारा-पीटा तथा मिट्टी का तेल डालकर जान से मारने की नियत से आग लगा दी, जिससे सुनीता की बुरी तरह जली हुयी अवस्था में अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी ओमप्रकाश पुत्र श्री पदम सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।